



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या-491-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2020-03-ज०श० एवं प्र०सु०/2020, दिनांक 12.04.2020

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल,

वि०वि०नि०लि०, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि० (केस्को)

वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।

विषय:- कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले निवारक उपाय के सम्बन्ध में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक वितरण निगमों के कार्मिकों को संक्रमण के प्रभाव से बचाने तथा विद्युत बिल जमा करने आदि हेतु आने वाले उपभोक्ताओं को समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु पत्र संख्या-236-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2020-03-ज०श० एवं प्र०सु०/2020 दिनांक 21.03.2020 द्वारा रू० 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र), पत्र संख्या-275-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2020-03-ज०श० एवं प्र०सु०/2020 दिनांक 15.04.2020 द्वारा रू० 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) एवं पत्र संख्या-505-ज०श० एवं प्र०सु०-01/पाकालि/2020-03-ज०श० एवं प्र०सु०/2020 दिनांक 20.06.2020 द्वारा रू० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की सीमा निर्धारित की गयी थी।

कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के दृष्टिगत उपरोक्त सामग्री के क्रय हेतु निर्धारित सीमा रू० 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) के अतिरिक्त रू० 10,000/- (रु० दस हजार मात्र) तक की अतिरिक्त राशि प्रति वितरण खण्ड को व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(एम० देवराज)
अध्यक्ष

संख्या-491-(i)-ज०श० प्र०सु० एवं प्रशि०-01/पाकालि/2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

2. अधिशासी अभियन्ता (वेब), चतुर्थ तल, शक्ति भवन-विस्तार, लखनऊ को उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(एम० देवराज)
अध्यक्ष